तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टी.ए./8464/2006/करौली गिर्राज प्रसाद बनाम धामू	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>खण्डपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित –

श्री जे.के. पारीक, श्री वैभव पारीक एवं उमेश कुमार, अधिवक्तागण अपीलार्थीगण

श्री श्यामबाबू पारीक, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 13.01.2023

अपीलार्थीगण ने यह अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या–142/2004 बउनवानी धामू बनाम गिर्राज व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–09–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज वादी रामजीलाल व किरोडी ने विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर, सपोटरा के न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188, 183 के अन्तर्गत एक वाद ग्राम कुडगांव स्थित आराजी खसरा नम्बर 1105, 1111, 1113 एवं 1112 की भूमि बाबत् प्रस्तुत कर बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आठ तनकीया कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के पश्चात् बहस सुनकर निर्णय दिनांक 31–3–2004 से डिक्री किया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12–9–2006 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी कारण के प्रतिवादी की अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 31 की पालना भी नहीं की है और तनकीवार विनिश्चय नहीं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टी.ए./8464/2006/करौली गिर्राज प्रसाद बनाम धामू	नम्बर व तारीख

किया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी सबूत का विवेचन करते हुए निर्णय दिया था लेकिन उस निर्णय को नहीं मानने का कोई कारण भी अंकित नहीं किया है। कानूनी आपत्ति करते हुए एक तर्क यह भी किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–4 करोडीलाल का देहान्त दिनांक 16–6–2005 को हो गया था उसके उपरान्त भी उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध किया गया निर्णय शून्य है। एक तर्क यह भी किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट को नहीं मानकर कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है। सीमाज्ञान पूर्व में हो चुका था और उसके खिलाफ रेस्पोडेन्ट का कोई काउन्टर क्लेम भी नहीं था अतः अपील स्वीकार करते हुए वादी का वाद डिक्री किया जावे और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि अपीलीय न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने आदेश 22 नियम 10सीपीसी के तहत सूचना ही नहीं दी और अपीलान्ट को जानकारी नहीं हो सकी इसलिए उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लाया जा सका। विचारण न्यायालय का निर्णय भी तनकीवार नहीं है। मौका रिपोर्ट पर दावा डिक्री किया है जो दावे से पहले की रिपोर्ट है। अतः निर्णय अपास्त करते हुए पत्रावली रिमाण्ड की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है ?

मौजूदा प्रकरण में दोनों पक्षों के तर्को से यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलान्ट वादी किरोडी लाल प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील लम्बित रहने के दौरान दिनांक 16–6–2005 को फौत हो गया था और उसके वारिसान को रिकार्ड पर लाये बिना ही विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांक 12–9–2006 को पारित किया गया है। मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध किया गया निर्णय शून्य की श्रेणी में आता है और वह डिक्री प्रभावी नहीं मानी जा सकती। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा किसी भी तनकी का विवेचन किये बिना विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 31–3–2004 को अपास्त किया है जबकि आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के अनुसार अपीलीय न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि अपने निर्णय में मौखिक एवं अभिलेखिय साक्ष्य का विवेचन करते हुए प्रत्येक विवाद्यक पर निर्णय पारित करना चाहिए लेकिन मौजूदा प्रकरण में विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। समग्र तथ्यों का विवेचन करते हुए एक साथ निर्णय पारित करते हुए विचारण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टी.ए./8464/2006/करौली गिर्राज प्रसाद बनाम धामू	नम्बर व तारीख

न्यायालय का निर्णय अपास्त किया है जो विधि अनुसार नहीं है। यहां यह तथ्य भी गौर करने योग्य है कि विद्वान विचारण न्यायालय जिन्होंने विचारण के दौरान आठ तनकीयां कायम की लेकिन किसी भी तनकी का विशेष रूप से विवेचन नही किया और समग्र रूप से साक्ष्य का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश 20 नियम 5 सीपीसी की पालना नहीं की है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 5 सीपीसी की पालना नहीं की है और दौराने अपील ही रेस्पोडेन्ट संख्या–4 किरोडीलाल के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लाये बिना मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। इसलिए निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों के ही निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है और मामला विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेते हुए तनकीवार विनिश्चय किये जाने के निर्देश दिया जाना उचित है।

परिणामतः अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या 142/2004 धामू बनाम गिर्राज वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 12–9–2006 एवं विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर, सपोटरा द्वारा मूल वाद संख्या 182/1997 बउनवानी रामजीलाल बनाम धापू में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–3–2004 को अपास्त किया जाता है और प्रकरण विचारण न्यायालय उपजिला कलक्टर, सपोटरा को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे मूल वाद में दोनों पक्षों को सुनते हुए तनकीवार विनिश्चय पारित करें।

पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 21–2–2023 को उप जिला कलक्टर, सपोटरा के न्यायालय में उपस्थित हो।

निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य